

**POWERGRID CORPORATION OF INDIA LTD.**  
(A Govt. of India Enterprise)  
NR-I, B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016



***Inter Office Memo***

**From :** Chief GM(PESM)  
and Designated  
CPIO, NR-1

**To :** Shri Ratan K.Dutta, Sr. GM,  
Meerut .

**Copy to :** Chief GM (Vigilance), NR-I: for  
information please.

**Ref :** Power Grid/NR-I/RTI/1820/

**Date :** 27.11.2019

**Subject:** Information sought by Shri Balbir Singh S/o Shri Hari Singh, Village Jaurasi Khas, Tehsil Samalkha, Distt. Panipat, Haryana -under Right to Information Act, 2005.

This has reference to RTI application dt.19.11.2019 of Shri Balbir Singh S/o Shri Hari Singh, Village Jaurasi Khas, Tehsil Samalkha, Distt. Panipat, Haryana which is received in the office of the undersigned under Right to Information Act, 2005 on 25.11.2019. The information sought by the applicant in his RTI Application pertains to your Group/Jurisdiction. A copy of the aforesaid application vide which the applicant sought information is enclosed herewith for information and doing the needful at the earliest under RTI Act – 2005.

It is requested to send the requisite information in well/appropriate manner to the undersigned on priority basis so that the information can onward be forwarded to the aforesaid applicant as early as possible.

*In the event the information sought by the applicant in the said RTI does not pertain to your Jurisdiction, this may immediately be sent to the appropriate authority that can be able to provide information or the same may be intimated to the undersigned within 03 days of the receipt of this letter. If no such communication is received in our office it will be considered that the information sought by the applicant is available with your Jurisdiction.*

This is being issued as per Section 5(V) of the R.T.I. Act.

*f Duo..  
[R.Nagpal]*

**Encl :** As above.

1820 (Prasad)  
26/11/2019

To

Sh. H.K. Mallick,  
Executive Director (NR-I)

Power Grid Corporation of India Limited  
Northern Region-1, Headquarters, B-9, Qutab Institutional Area,  
Katwaria Sarai, New Delhi-110016

विषय:- जन सूचना अधिकार अधिनियम 3 (1) 2005 के तहत निम्नलिखित सूचना लेने बारे।

श्रीमान जी,

प्रार्थी जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहता है:-


1. यह कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यमुनानगर से मटोर की वर्ष 2004-05, उससे पहले या बाद मे हाई वोल्टेज विद्युत पारेषण लाईन बिछाई गई थी, उस लाईन का सर्वे किस वर्ष की कौन सी तिथि से शुरू किया गया, सर्वे करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम, पद सहित विवरण प्रदान करे।
2. यह कि हाई वोल्टेज विद्युत पारेषण लाईन रास्ते में आने वाली जमीन मे लगे हूए बाग के ऊपर से बिछाई जा सकती है या उसे बचाया जा सकता है, और अगर उसके ऊपर से लगाई जाएगी तो कितने बड़े वृक्षो के ऊपर से लाई डाली जा सकती है। सम्पूर्ण सत्यापित जानकारी प्रदान की जाए।
3. यह कि श्री डी० पी० एस० यादव, मैनेजर (टी० एल०) कम जन सूचना अधिकारी, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, 400 के० वी० सब स्टेशन, बी बी एम बी, कॉम्प्लैक्स, सिवाह, पानीपत (हरियाणा) हाल 400 के० वी० सब स्टेशन, गांव मटोर, पोस्ट दोराला, मेरठ, उत्तर प्रदेश, के पत्र क्रमांक नम्बर NI/PNP/TLC/04-05/739A dated 05/05/2015 के बिन्दू नम्बर 2 मे आप द्वारा सतवीर सिंह पुत्र हरी सिंह के आम के बगीचे बाबत संबंधित माननीय न्यायालय, पानीपत मे मामला/केस विचाराधीन है, उक्त केस की एक प्रति प्रदान की जाए।

CCM, PESM  
26/11/19.

4. यह कि आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दू नम्बर 3 मे श्री हरी सिंह को पूर्व मे फाउंडेशन कार्य के दौरान ₹0 8935/- के मुआवजा देने की बात कही है, उक्त मुआवजा बाबत रसीद/स्वीकृति पत्र की सत्यापित प्रति प्रदान की जाए।
5. यह कि आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दू नम्बर 4 मे कहा गया है कि माह फरवरी 2005 मे टावर निर्माण के दौरान सफेद मूसली एवं लहसुन की जितनी फसल नष्ट हुई, उसके मूल्यांकन बागवानी विभाग से करवाया जा रहा है। परन्तु इस मामले को 13 वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी अभी तक ना तो कोई मूल्यांकन लगाया गया है, उसकी भी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए।
6. यह कि उपरोक्त पत्र के बिन्दू नम्बर 5 मे कहा गया है कि मार्च 2005 मे तार खिंचने के दौरान कोई भी फसल मौके पर मोजूद नहीं थी, जोकि मौके पर पुलिस विभाग द्वारा निरीक्षण करना बताया गया है। मौका मुआयना/निरीक्षण रिपोर्ट की सत्यापित प्रति प्रदान की जाए।
7. यह कि उपरोक्त हाई वोल्टेज विद्युत पारेषण के समय जिस भूमि में नुकसान हुआ है, वह जमीन पुश्टैनी जमीन होन के नाते प्रार्थी बलबीर पुत्र श्री हरी सिंह के नाम रिकार्ड/फर्द मे दर्ज हो चुकी है, इसलिए प्रार्थी अपनी इस जमीन या इससे संबंधित हर तरह की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी जानकारी, जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत या कार्यवाही करने के लिए अधिकारमय है।
8. यह कि उपरोक्त मामले मे लगाए गए टावर टू टावर की दूरी के रिकार्ड और मौजूदा स्थिति पर टावर टू टावर की दूरी बारे सम्पूर्ण सत्यापित जानकारी प्रदान की जाए।
9. यह कि आधी अधूरी दी जाने वाली जानकारी के विरुद्ध सक्षम अपीलीय अधिकारी के नाम और पता का विवरण भेजें।
10. यह कि यदि मांगी गई जानकारी पर निर्धारित फीस से ज्यादा खर्च आता है तो प्रार्थी उस खर्च को वहन करने के लिए तैयार है।

उपरोक्त जानकारी हेतु जनसूचना अधिकार अधिनियम में निर्धारित फीस 10/- ₹0 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर न0 46F187342 dated 18/10/2018 साथ संलग्न है।

दिनांक 19-11-2019

प्रार्थी  
  
 बलबीर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह निवासी गांव  
 जौरासी खास, तहसील समालखा जिला  
 पानीपत।



To.

Sh. H.K. Mallik

पावरग्रिड/POWERGRID

उ.स.१/NR-१

26 NOV 2019

प्राप्ति किया/RECEIVED  
फरीदाबाद/FARIDABAD

Executive Director(NR-I)  
Power Grid Corporation of India Ltd  
Northern Region I, Headquaters, B-9 Sector 8 Institutional Area  
Katrajia Sarai, New Delhi 110016

25 NOV 2019

6141

RH359135539 IN

प्राप्ति किया/RECEIVED  
फरीदाबाद/FARIDABAD

Baldev Singh Joshi  
V.R.O. Faridabad  
SNK/PWY

